अनवान नरपतराम V/s देवाराम
मुकदमा नंबर 184 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.25	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 12/2023 अनवान नरपतराम बनाम देवाराम अन्तर्गत धारा 131,136 रा. भू.अ. की धारा के तहत अज अदालत में पेश किया गया है जिसकी सुनवाई के दौरान दिनांक 10.07.2023 को आयोजित राजस्व कैम्प में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 670/501,673/501,675/501,672/201,674/501 व 671/501 रकबा क्रमशः 26.02, 18.16, 7.06, 19.02 ,7.00 व 1.00 बीघा भूमि का माफिक सहमति परिशिष्ट'ब'' अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। अज आदालत द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सिवाना कथन किया कि तरमीम दुरूस्त किये जाने से पूर्व तरमीम नक्शे के अनुरूप खतौनी नहीं बनाये जाने से तरमीम दुरूस्ती के आदेश से पूर्व कुल 06 खसरे के स्थान पर तरमीम दुरूस्ती का आदेश उपरान्त 08 खसरे हो जाने से उक्त तरमीम दुरूस्ती का आदेश की पालना किया जाना संभव नहीं है। तरमीम दुरूस्ती का आदेश सहमति के जरिये राजस्व कर्मचारियों की मौका रिपोर्ट के आधर पर ही तरमीम दुरूस्त करने का आदेश हुआ था,मगर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपोर्ट में रतमीम दुरूस्त करने हेतु नये खसरो के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जिससे अज अदालत द्वारा जारी तरमीम दुरूस्ती का आदेश के वक्त राजस्व रेकर्ड में नये खसरे इन्द्राज करने का अलग से कोई आदेश जानी नहीं किया जो मात्र आदेश की गणना की भूमि है। तहसीलदार सिवाना द्वारा अज अदालत द्वारा जारी तरमीम दुरूस्ती के आदेश की पालना में असमर्थता जाहिर किये जाने से पुर्नविलोकन का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अज अदालत द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2023 में विवादित भूमियों की तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट रकबे व हिस्से के अनुरूप मंगवावई जाकर तरमीम [illegible] को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में किये जाने का आदेश [illegible]।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड का गंभीरता से अध्ययन व अवलोकन किया। अज अदालत में निर्णित प्रकरण संख्या 12/2023 अनवान नरपतराम बनाम देवाराम अन्तर्गत धारा रा.भू.अ. की धारा 131,136 की मूल पत्रावली तलब की गई। मूल पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कैम्प 10.07.2023 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अनवान नरपतराम v/s देवाराम
मुकदमा नंबर 184/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समक्ष पक्षकारन उपस्थित होकर माफिक परिशिष्ट "ब" अनुसार सहमति होने से तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित खसरा 670/501 ,673/501 ,675/501, 672/201 ,674/501 व 671/501 रकबा क्रमशः 26.02, 18.16, 7.06, 19.02 , 7.00 व 1.00 बीघा भूमि की राजस्व कैम्प में तरमीम दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा प्रार्थी द्वारा भी अपने मूल प्रार्थना पत्र में इन्हे खसरो की तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारन की सहमति के आधार पर ही उक्त तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है और प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार ही तरमीम दुरूस्ती के आदेश पारित किया गया है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 114 सी.पी.सी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:07 IST
Reason: SelfAttested